संचालनालय लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा
मध्यप्रदेश
जय प्रकाश चिकित्सालय परिसर 1250 तुलसी नगर भोपाल
E-mail:- complaint.dhs@gmail.com

क्रमांक/4/शिका/सेल-7/2026/ 814 **भोपाल, दिनांक** 06/05/**2026**

// आदेश //

यह कि श्रीमती सीमा पत्नि श्री दशरथलाल को दिनांक 24 फरवरी 2024 को जिला चिकित्सालय मंदसौर में प्रसव हेतु भर्ती कराया गया। डॉ. संगीता पाटीदार, महिला एवं प्रसुति रोग विशेषज्ञ द्वारा डॉ मीना वर्मा, चिकित्सा अधिकारी, जिला चिकित्सालय मंदसौर को उक्त प्रसूता का ऑपरेशन किए जाने हेतु निर्देशित किया गया, जबकि डॉ मीना वर्मा इमरजेंसी ओब्स्ट्रेटिक कैयर में नियमानुसार प्रशिक्षित (ईमॉक) नहीं हैं। सिजेरियन ऑपरेशन के दौरान गर्भवती के नवजात शिशु को पेरिनियल टीयर कट लगने की घटना हुई। जिसके फलस्वरूप नवजात को आगामी उपचार अंतर्गत निजी चिकित्सालय रतलाम एवं शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय रतलाम में जटिल शल्यक्रिया से गुजरना पड़ा और परिजन को शारीरिक, मानसिक एवं आर्थिक परेशानी उठानी पड़ी। उपरोक्त के आलोक मे संचलनालय लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा के पत्र क्रमांक 569 दिनांक 21/03/2025 द्वारा डॉ. संगीता पाटीदार को कारण बताओ नोटिस जारी किया जाकर प्रतिवाद उत्तर चाहा गया।

2/- उक्त के अनुक्रम में डॉ. संगीता पाटीदार, महिला एवं प्रसुति रोग विशेषज्ञ, जिला चिकित्सालय मंदसौर का प्रतिवाद उत्तर दिनांक 31/03/2025, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, मंदसौर दवारा अपने कार्यालयीन पत्र क्रमांक 4656 दिनांक 20/08/2025 के माध्यम से संचालनालय को प्रस्तुत किया गया।

3/- डॉ. संगीता पाटीदार द्वारा प्रस्तुत प्रतिवाद उत्तर का परीक्षण किया गया। परीक्षणोपरांत पाया गया कि डॉ. संगीता पाटीदार द्वारा भली भाति अवगत होने के उपरांत भी एक गैर प्रशिक्षित चिकित्सक डॉ. मीना वर्मा, चिकित्सा अधिकारी, जिला चिकित्सालय मंदसौर, जो इमरजेंसी ओब्स्ट्रेटिक फेयर में नियमानुसार प्रशिक्षित (ईमॉक) नहीं हैं , को शल्यक्रिया हेतु निर्देशित किया गया। साथ ही क्लिनिकल/चिकित्सकीय अभिलेखों के दस्तावेजीकरण के सुस्पष्ट कर से स्थापित सिद्धांतों/मानको तथा उनके नैतिक और चिकित्सा कानूनी (medico-legal) निहितार्थों/ अर्थों से सर्वथा परिचित होने के उपरांत भी मानद प्रक्रिया का समुचित पालन नहीं किया जाकर , शिशु के चिकित्सकीय प्रबंधन संबंधी विवरण को अभिलिखित नहीं किया गया। शिशु रोगी को समुचित चिकित्सा देखभाल की प्रदायगी में लापरवाही की जाकर, चिकित्सकीय पद्धति के सुस्पष्ट रूप से स्थापित मानकों का उल्लंघन करते हुए, चिकित्सकीय नैतिकता के विरुद्ध कृत्य कारित कर न सिर्फ व्यावसायिक कदाचार किया गया है अपितु घोर लापरवाही की जाकर कर्तव्यविमुखता भी की गई है।

4/- उपरोक्त तथ्यों के आलोक मे प्रतिवाद उत्तर समाधानकारक नहीं पाये जाने के फलस्वरूप संचालनालय के ज्ञाप क्रमांक/4/शिका./सेल-7/2025/1836 दिनांक 07.11.2025 द्वारा डॉ. संगीता पाटीदार को पुनः कारण बताओं नोटिस जारी कर लेख किया गया कि क्यों न आपके विरुद्ध मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 में निहित प्रावधान अनुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाकर आपकी दो वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकी जाए।

5/- डॉ. संगीता पाटीदार, महिला एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ जिला चिकित्सालय मंदसौर द्वारा उन्हे जारी कारण बताओं नोटिस क्रमांक/4/शिका./सेल-7/2025/1836, दिनांक 07.11.2025 का प्रतिवाद उत्तर दिनांक 21.11.2025 को प्रस्तुत किया गया। जिसका संचालनालय स्तर पर सूक्ष्म परीक्षण किया गया। परीक्षणोपरांत पाया गया कि डॉ संगीता पाटीदार, स्त्री एवम प्रसूति रोग विशेषज्ञ, जिला चिकित्सालय मंदसौर, द्वारा तत्काल रूप से सर्जन डॉ सिद्धार्थ शिंदे से दूरभाष पर हुई चर्चा संबंधी विवरण का कोई उल्लेख clinical/medical record sheet मे अभिलिखित नहीं किया गया और न ही उनके द्वारा नवजात शिशु के पेरिनियल टियर के प्रबंधन हेतु टांके लगाके जाने की प्रक्रिया के बारे में clinical/patient medical record sheet मे विवरण अभिलिखित किया गया। इस प्रकार रोगी का समुचित एवं संपूर्ण चिकित्सकीय विवरण दर्ज/ अभिलिखित नहीं किया गया जो चिकित्सकीय पद्धति के सुस्पष्ट रूप से स्थापित मानकों के विपरीत है तथा रोगी के उपचार के परिप्रेक्ष्य मे यह एक गंभीर त्रुटि है।

निरंतर...2

6/- साथ ही उक्त घटना का संजान राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग नई दिल्ली एवं मध्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग द्वारा लिया जाकर कड़ी टिप्पणी की गई है तथा उक्त घटना के संबंध में खबर का प्रकाशन विभिन्न समाचार पत्रों से भी हुआ है, जिससे शासन की छवि भी धूमिल हुई है।

7/- अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक मे डॉ. संगीता पाटीदार, महिला एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ जिला चिकित्सालय मंदसौर द्वारा विषयांकित प्रकरण में शिशु के उपचार के दौरान पदीय दायित्वों के निर्वहन मे कारित लापरवाही के फलस्वरूप शिशु को हुई शारीरिक पीड़ा एवं परिजनों को हुई मानसिक एवं आर्थिक पीड़ा तथा प्रकरण में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, नई दिल्ली द्वारा पत्र क्रमांक/MP-75017/2024-25/COMP/HEALTH/EBN/DD39024 dated 30/01/2025 के माध्यम से की गई अनुशंसा को दृष्टिगत रखते हुये डॉ.संगीता पाटीदार महिला एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, जिला चिकित्सालय मंदसौर से राशि रूपये 50,000/- की वसूली के आदेश प्रसारित करते हुए मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम, 10 (4) अंतर्गत उनकी दो वार्षिक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकी जाने की शास्ति अधिरोपित की जाकर एतद् आदेश द्वारा प्रकरण समाप्त किया जाता है।

आयुक्त, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा म.प्र द्वारा अनुमोदित।

Digitally signed by
Raju Nidariya
Date: 06-05-2026
12:21:30

वरिष्ठ संयुक्त संचालक (शिकायत)
संचालनालय लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा
मध्यप्रदेश

पृ. क्रमांक/4/शिका/सेल-7/2026/ 815 **भोपाल, दिनांक** 06/05/ **2026**

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. **अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल, मध्यप्रदेश ।**
2. **आयुक्त, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग मध्यप्रदेश ।**
3. **संचालक (राजपत्रित) लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग, भोपाल, मध्यप्रदेश।**
4. **संभागायुक्त, उज्जैन संभाग उज्जैन मध्यप्रदेश।**
5. **कलेक्टर, जिला मंदसौर मध्यप्रदेश ।**
6. **मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्यप्रदेश ।**
7. **उप संचालक, विज्ञप्त/गोपनीय/लीगल शाखा लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मध्यप्रदेश।**
8. **क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, उज्जैन संभाग, उज्जैन मध्यप्रदेश की ओर जारी आदेश की प्रति प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि (i) जारी आदेश की प्रविष्टी संबंधित डॉ. संगीता पाटीदार, महिला एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, जिला चिकित्सालय मंदसौर की सेवा पुस्तिका में दर्ज करें तथा इसकी प्रमाणित प्रति राज्य कार्यालय को प्रेषित करें।**
9. **मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला मंदसौर, मध्यप्रदेश।**
10. **सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिला मंदसौर, मध्यप्रदेश की ओर आदेश की प्रति प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि जारी आदेशानुसार कार्यवाही करते हुए कृत कार्यवाही की जानकारी राज्य कार्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।**
11. **संभागीय कोष एवं लेखा अधिकारी उज्जैन संभाग उज्जैन मध्यप्रदेश ।**
12. **जिला कोषालय अधिकारी जिला मंदसौर, मध्यप्रदेश।**
13. **डॉ. संगीता पाटीदार, महिला एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, जिला चिकित्सालय मंदसौर द्वारा : मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला मंदसौर, मध्यप्रदेश ।**
14. **प्रभारी एम.आई.एस. सेल. लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मध्यप्रदेश की ओर उक्त आदेश विभाग की वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।**

वरिष्ठ संयुक्त संचालक (शिकायत)
संचालनालय लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा
मध्यप्रदेश